



राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 5(5)गृह-1 / 2024 पार्ट (25264)

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित दिनांक

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2024-25 की दिनांक 09.01.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय श्री कैलाश दान/रायसिंह दान, (सामान्य) के विरुद्ध पुलिस आयुक्त, जयपुर के विरुद्ध आदेश क्रमांक 65-66 दिनांक 02.02.2024 द्वारा अन्तर्गत नियम 17 सीसीए में आरोप पत्र जारी होने एवं विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण इनकी पदोन्नति अभिशंषा को सील्ड कवर में रखा गया।

श्री कैलाश दान के विरुद्ध विचाराधीन विभागीय जांच को पुलिस आयुक्त, जयपुर के आदेश क्रमांक 658-62 दिनांक 17.06.2025 के द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22.10.2024 के अनुसार परिनिन्दा का दण्ड पदोन्नति पर प्रभावी नहीं होने के कारण राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2024-25 की दिनांक 09.01.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सील्ड कवर में किये गये श्री कैलाश दान की अभिशंषा के बन्द लिफाफे को खोला गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार श्री कैलाश दान/रायसिंह दान को राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2024-25 में रिक्ति दिनांक 08.10.2024 के प्रति एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री कैलाश दान की वरिष्ठता श्री गोविन्द सिंह राजपुरोहित/जेदू सिंह (सामान्य) के नीचे तथा श्री सुनील कुमार टेलर/नाथूलाल टेलर (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। श्री कैलाश दान, आरपीएस अग्रिम आदेशों तक वर्तमान पद पर ही यथावत कार्य करते रहेंगे तथा इनको रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राकेश राजोरिया)

आई.ए.एस.

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस